4.4 करोड़ की पैनल्टी "अंडर-प्रोटेस्ट" भरना स्वीकार किया टोंक के बजरी खनन लीज़धारियों ने

लीज़धारियों का कहना है कि, उन्होंने पैनल्टी की राशि इस शर्त पर भरी है कि, विभाग उनका पक्ष सुने और तर्कसंगत फैसला ले

-यादवेन्द्र शर्मा-

■ अदालत ने विभाग को याचिकाकर्ता, बजरी खनन लीज़धारी का पक्ष सुन कर 15 दिन में फैसला देने को कहा है। अदालत के आदेश में यह भी तय है कि, याचिकाकर्ता लीज़धारी विभाग के निर्णय को हाई कोर्ट में पुनः चुनौती दे सकते हैं।

जयपुर, 4 मार्च। राज्य के खनन विभाग की ओर से प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में अवैध बजरी खनन रोकने के लिए जनवरी माह में अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान के दौरान खनन विभाग ने टोंक जिले में बजरी खनन कर रहे लीज़धारियों का औचक निरीक्षण किया था और पाया था कि लीज़धारियों के पास घोषित 'स्टॉक पाइल' से कई अधिक टन बजरी थी।

इस संदर्भ में विभाग द्वारा उक्त खनन लीज़धारियों के खिलाफ 31 जनवरी और 1 फरवरी को अतिरिक्त स्टॉक को सीज़ करने और पैनल्टी लगाने के आदेश पारित किए गए थे। खनन विभाग द्वारा 12 फरवरी को उक्त लीज़धारियों को 'शो-कॉज़ नोटिस' भी भेजा गया था। विभाग की इस कार्यवाही के खिलाफ लीज़धारी प्रदीप सेठी और अमन सेठी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उक्त मामले पर सुनवाई करते हुए दोनों लीज़धारी याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि वह पैनल्टी लगाने के आदेश पर अपनी आपत्ति व्यक्त करते हैं लेकिन पैनल्टी की राशि, जो करीब 4.4 करोड़ रूपये बताई जा रही है, को विभाग में जमा करेंगे बशर्ते विभाग उनके पक्ष को सुने और फिर तर्क संगत निर्णय करे कि किसी भी कानून का उल्लंघन किया गया है या नहीं।

न्यायाधीश महेन्द्र कुमार गोयल ने विभाग को कहा है कि वह याचिकाकर्ताओं को 'शो-कॉज़ नोटिस' पर अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए सात दिन का समय दे और फिर 15 दिन में जांच कर अपना निर्णय लें। अदालत के आदेश से यह भी स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता विभाग के निर्णय को हाईकोर्ट में पुनः चुनौती दे सकते हैं। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर शर्मा व वरिष्ठ ए.के. शर्मा पैरवी के लिए पेश हुए थे। और यह याचिकाएं अधिवक्ता संदीप सिंह शेखावत की ओर से दायर की गई थीं। संदीप सिंह शेखावत ने बताया कि विभाग द्वारा जब्त की गई बजरी की मात्रा अंकित करने में बार-बार बदलाव किए गए, जिससे पैनल्टी की राशि पहले 80 करोड़ रूपये बताई गई थी फिर उसे घटा कर 15 से 17 करोड़ रूपये बताया गया और अंतः यह राशि 4 से 6 करोड़ रूपये के बीच बताई गई। उन्होंने कहा कि विभाग ने बजरी का घनत्व (डैन्सिटी, जिसके अनुसार पैनल्टी तय की जाती है) जाँचने में भी गलतियां कीं।

उन्होंने कहा कि इस घनत्व की जांच केवल एन.ए.बी.एल. द्वारा प्रमाणित लैब में की जा सकती है और इस नियम की भी यहां पालना नहीं की गई। उन्होंने कहा कि जब तक यह मामला अदालत में लंबित रहता, तब तक उन्हें खनन गतिविधि की अनुमति नहीं मिल पाती और उनकी लीज़ अवधि का समय जाया होता रहता। इसलिए याचिकाकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शित करते हुए पैनल्टी की राशि भरी है और अब अपना पक्ष विभाग के समक्ष रखेंगे।

भारतीय वैज्ञानिक ने खोजा नया बैक्टीरिया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 मार्च। असम के मूल निवासी एवं न्यूजीलैण्ड की ऑकलैण्ड यूनिवर्सिटी के माइक्रोबायोलॉजिस्ट व अनुसंधानकर्ता डॉ. बिकिरम परदेसी और उनकी टीम ने एक नए बैक्टीरिया की खोज करने के लिए भारी सराहना मिली है। वह दिल्ली के अग्रणी पत्रकार एवं घनश्याम परदेसी के पुत्र हैं। घनश्याम परदेसी व स्टेट्समैन, द टैलीग्राफ, यू.एन.आई. और मेनस्ट्रीम मीडिया से जुड़े हुए थे। उनकी मां दीपिका परदेसी गुवाहाटी शिफ्ट हो गई थीं और डॉ. बिकिरम की शिक्षा-दीक्षा भी गुवाहाटी में ही हुई।

डॉ. बिकिरम परदेसी ने भारत के प्रतिष्ठित मायक्रो बायलॉजिस्ट डॉ. आनंद मोहन चक्रबार्ती के सम्मान में नए खोजे गए इस बैक्टीरिया का नाम "चक्रबरतायेला" रखा है। यह बैक्टीरिया ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के समीपवर्ती महासागर में एक मछली की आंतों में पाया गया और कोरल सरवाइवल में अहम् भूमिका निभाता है।

यह उल्लेखनीय खोज "इन्टरनैशनल जर्नल ऑफ सिस्टैमिक एण्ड इवोलूशनरी माइकोबायलॉजी" में छपी है। इससे ना केवल बैक्टीरिया की नई प्रजातियों की उपस्थिति के बारे में पता चलता है, बल्कि यह अपने आप में एक नये वंश या अन्य शब्दों में प्रजातियों का एक समूह है।

'सदन में वोट देने के एवज में रिश्वत लेने पर सांसदों, विधायकों को कोई संरक्षण नहीं'

सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के एक मामले में अपने ही फैसले को पलटते हुए कहा कि, रिश्वत खोरी संसदीय विशेषाधिकारों द्वारा संरक्षित नहीं

■ सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 1998 के पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार के कार्यकाल संसद में वोट देने के एवज में झारखंड मुक्ति के नेताओं द्वारा रिश्वत लिए जाने के मामले में दिया है।

नयी दिल्ली, 04 मार्च। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को संसदीय 1998 के पीवी नरसिम्हा राव मामले में अपने फैसले को पलटते हुए कहा कि, रिश्वतखोरी विशेषाधिकारों द्वारा संरक्षित नहीं है। मुख्य न्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना, न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह सर्वसम्मत फैसला दिया।

पीठ ने माना कि, संविधान के अनुच्छेद 105 या 194 के तहत रिश्वतखोरी को छूट नहीं दी गई है, क्योंकि रिश्वतखोरी में लिप्त एक सदस्य एक आपराधिक कृत्य में शामिल होता है।

सात सदस्यीय पीठ ने कहा, हम मानते हैं कि रिश्वतखोरी संसदीय विशेषाधिकारों द्वारा संरक्षित नहीं है। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भारतीय संसदीय प्रणाली के कामकाज को नष्ट कर देती है। पीठ ने अपने सर्वसम्मत फैसले से, 1998 के जे.एम.एम. रिश्वत मामले के नाम से चर्चित मामले में शीर्ष अदालत की पांच सदस्यीय पीठ के बहुमत के फैसले से असहमति जताई। पीठ ने कहा कि, राज्यसभा चुनाव में वोट देने के लिए रिश्वत लेने वाले विधायक पर भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। पांच सदस्यीय संविधान पीठ के 3:2 के बहुमत फैसले में व्यापक प्रभाव और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के लिए संसद में मतदान के लिए रिश्वतखोरी के खिलाफ मुकदमा चलाने से सांसदों को छूट दी गई थी।

सात सदस्यीय पीठ ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन की याचिका पर 5 अक्टूबर 2023 को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

'अखबारी कागज़ से 5 प्रतिशत सीमा शुल्क हटाया जाए'

■ इंडियन न्यूज़ पेपर सोसायटी ने कहा कि, 5 प्रतिशत सीमा शुल्क हटाना प्रिंट मीडिया के लिए बेहद जरूरी है।

नयी दिल्ली, 04 मार्च। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी (आई.एन.एस.) ने सरकार से अखबारी कागज पर पांच प्रतिशत सीमा शुल्क लगाने के फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील करते हुये कहा है कि, यह देश में प्रिंट मीडिया उद्योग के अस्तित्व के लिये जरूरी है।

आई.एन.एस. ने यहां जारी एक विज्ञिप्त में कहा, दुनिया भर के साथ-साथ भारत में भी कई न्यूज़प्रिंट मिलों ने या तो अपना परिचालन निलंबित कर दिया है या फिर न्यूज़प्रिंट उत्पादन पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिससे देश भर में न्यूज़प्रिंट की आपूर्ति की निरंतरता को लेकर चिंता की लकीरें खिंच गयी हैं।

विज्ञिप्त में कहा गया है कि, यदि यह शुल्क वापस ले लिया जाता है, तो प्रिंट मीडिया उद्योग को बहुत राहत मिलेगी। इससे प्रकाशकों को अपनी परिचालन लागत को अधिक प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करने और जनता के लिये विश्वसनीय समाचार और सूचना का निरंतर प्रसार सुनिश्चित करने में सहूलियत होगी।

आई.एन.एस. के अनुसार, अखबारी कागज की कीमत और उपलब्धता की मौजूदा स्थिति वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, तार्किक पेचीदगियों, रुपये के मूल्यह्रास और अखबारी कागज पर प्रचलित सीमा शुल्क जैसे विभिन्न कारकों के संयोजन के कारण है। इससे देश में प्रकाशकों पर भारी बोझ पड़ गया है। रुपए की कीमत में कमी आने से प्रिंट मीडिया क्षेत्र जैसे आयात-निर्भर उद्योगों पर दबाव बढ़ गया है।

आई.एन.एस. ने कहा है वह इन हालातों के मद्देनजर सरकार से अपील करती है कि, अखबारी कागज़ पर पांच प्रतिशत सीमा शुल्क लगाने के फैसले पर पुनर्विचार करे। जिससे प्रिंट मीडिया बिना किसी अन्य बोझ के सुचारू रूप से चल सके।

बैंगलोर में बम...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हैं, जिन्होंने एन.ओ.सी. दी है? क्या वे ऐसी रिपोर्ट देने के लिये अधिकृत हैं? हम सारी जांच करेंगे।" भाजपा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा राज्यसभा चुनाव में पार्टी के नेता नसीर हुसैन की जीत का उत्सव मनाते हुए, विधानसभा के बाहर "पाकिस्तान जिन्दाबाद" के कथित नारे लगाने का विरोध कर रही है। भाजपा ने कहा, "विधानसभा के बाहर जिसने "पाकिस्तान जिन्दाबाद" के नारे लगाने शुरु किये थे, वह एफ.एस.एल. रिपोर्ट में स्पष्ट हो चुका है। कर्नाटक कांग्रेस तथा उत्सवी फेक न्यूज फैक्ट्री की मुखिया, प्रियंका खड़गे को अब अपने देशद्रोही कृत्य को स्वीकार करना चाहिये और विधानसभा के बाहर दंडवत होकर जनता से माफी मांगनी चाहिये।"

'आप आम आदमी नहीं है, एक मंत्री हैं, आपको परिणाम पता होना चाहिए'

सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन को सनातन धर्म पर टिप्पणी के लिए फटकारा

■ जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने शुरू से ही कड़ा रूख अपना रखा और कहा, आपने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का दुरूपयोग किया है। मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी।

नयी दिल्ली, 04 मार्च। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की, उनके सनातन धर्म विरोधी कथित बयान के खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज मुकदमों को एक जगह करने का निर्देश देने की उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान खिंचाई की और कहा कि, एक मंत्री के रूप में उन्हें परिणामों के बारे में पता होना चाहिए था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने शुरू से कड़ा रुख अपनाते हुए स्टालिन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से मौखिक रूप से कहा कि, उन्हें राहत के लिए संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। पीठ ने हालांकि, वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी के द्वारा, विभिन्न मामलों में अदालत के रुख का हवाला देते हुए राहत की गुहार के बाद याचिका पर 15 मार्च को सुनवाई के लिए सहमति जताई।

पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, "आपने (स्टालिन) संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का दुरुपयोग किया। आपने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अनुच्छेद 25 के तहत अपने अधिकार का दुरुपयोग किया और अब आप संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं?"

पीठ ने (स्टालिन के सनातन धर्म वाले बयान पर) कहा, "आप आम आदमी नहीं हैं, आप एक मंत्री हैं, आपको परिणाम पता होना चाहिए। आपने जो कहा क्या उसके नतीजे आप नहीं जानते।" उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे हैं। आरोप है कि उन्होंने दो सितंबर 2023 को सनातन धर्म उन्मूलन सम्मेलन के संबंध में आयोजित एक बैठक में कथित तौर पर हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत भरा भाषण दिया था।

उनके वकील सिंघवी ने अदालत के समक्ष कहा कि इस मामले में स्टालिन के खिलाफ उत्तर प्रदेश, बेंगलुरु, पटना, जम्मू और अन्य राज्यों में प्राथमिकी दर्ज हैं। यह अभियोजन पक्ष का उत्पीड़न है। वरिष्ठ वकील ने मुकदमों को एक जगह करने के लिए अर्नब गोस्वामी, मोहम्मद जुबैर, अमीश देवगन, नूपुर शर्मा के मुकदमों से संबंधित शीर्ष अदालत के पिछले फैसलों का भी हवाला दिया।

लालू यादव का मोदी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

था कि "यदि नरेन्द्र मोदी का स्वयं का कोई परिवार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? वह राम मंदिर को लेकर डींग हांकते रहते हैं, लेकिन वह सच्चे हिन्दू नहीं हैं। हिन्दू परम्परा में अपनी मां के स्वर्गवास पर पुत्र को अपनी दाढ़ी और सिर के बाल कटाने पढ़ते हैं और अपनी मां के निधन पर मोदी ने ऐसा नहीं किया।" कांग्रेस नेताओं ने भी इस विवाद में कूदते हुए तर्क दिया कि भाजपा के अभियान से संकेत मिलता है कि भाजपा के नेता संघ परिवार के प्रति अपनी निष्ठा को बदलकर अब "मोदी परिवार" के प्रति कर रहे हैं।

कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर चुटकी लेते हुए कहा कि "भाजपा अब परिवारवाद के बारे में बात नहीं कर सकती।" मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा के जीवन मूल्य और सिद्धांत बदल गए हैं। ये हर किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले ये लोग कहते थे कि उनके लिए देश प्रथम है, फिर पार्टी को प्रथम बताने लगे और फिर नेता को। पहले यह संघ परिवार हुआ करता था, अब यह मोदी परिवार है।"

इन टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि "विपक्ष प्रधानमंत्री से ईर्ष्या रखता है। हम वर्षों से देखते आ रहे हैं कि विपक्ष ईर्ष्या, द्वेष और हीन भावना के साथ प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपमानजनक व अप्रिय बयानबाजी करता रहा है। मैं हर किसी को यह याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए पूरा देश ही उनका परिवार है।"

वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग से ई.डी. के सवालों का जवाब देंगे केजरीवाल

■ ई.डी. दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को 8 बार सम्मन भेज चुका है, पर केजरीवाल एक बार भी ई.डी. के दफ्तर नहीं पहुंचे।

नई दिल्ली, 4 मार्च। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) के ताजा समन का जवाब देते हुए कहा था कि वह, 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एजेंसी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। सूत्रों के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल से पूछताछ के लिए एजेंसी तैयार नहीं है।

ज्ञातव्य है कि, दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल से ईडी फिजिकली पूछताछ करना चाहती है। इससे पहले मुख्यमंत्री को 8 बार ईडी द्वारा समन जारी किया जा चुका है, लेकिन केजरीवाल एक भी बार ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ का कोई भी प्रावधान नहीं है। इस मामले पर भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाल ने बयान दिया है।

उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल बेतुका है कि जिस व्यक्ति पर शराब घोटाले का मास्टरमाइंड होने का गंभीर आरोप है, अब वह तय करेगा कि वह कब पेश होगा। केजरीवाल जिस तरह से ईडी के सामने पेश होने की बात कह रहे हैं, कानून में ऐसा कभी सुना नहीं गया है। जब अन्ना हजारे के संरक्षण में अरविंद केजरीवाल थे, तो वो कहते थे कि पहले इस्तीफा फिर जांच की जाए।

चुनाव के बाद चुनावी बॉण्ड की जानकारी देगा...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एस.बी.आई. से चुनावी बॉन्ड के मूल्य, उनका मूल्य व भुनाने की तारीख का ब्यौरा मांगा था।

सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए 6 मार्च की तारीख दी थी। अगर इस अवधि को बढ़ाकर 30 जून किया जाता है तो इसका अर्थ होगा कि जब तक जानकारी सामने आएगी तब तक चुनाव नतीजे घोषित हो चुके होंगे। स्पष्ट रूप से यह कदम भाजपा को बचाने के लिए उठाया गया है जो कि चुनावी बॉन्ड पाने वालों में सबसे ऊपर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जानकारी जुटाने और उसे मैच कराने में काफी समय लगेगा। गत माह सुप्रीम कोर्ट ने अपने एतिहासिक फैसले में सत्तारूढ़ पार्टी को भारी झटका देते हुए राजनैतिक फंडिंग की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया और कहा कि यह बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार और सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। चुनावी बॉन्ड योजना 2017-18 के बजट में राजनैतिक दलों को आर्थिक सहायता देने के लिए घोषित की गई थी।

मायावती इण्डिया...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को शामिल किया जा सकता है और आगामी लोकसभा में उत्तर प्रदेश में उन्हें 25 सीटें आवंटित की जाएगी जबकि समाजवादी पार्टी 38 पर एवं कांग्रेस 17 पर चुनाव लड़ सकती है।

खबर है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अखिलेश को मनाया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संयुक्त रूप से संघर्ष करने व उसे चुनावों में परास्त करने के लिए बसपा गठबंधन में साथ लेना चाहिए।

ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनिया गांधी 9 मार्च को संयुक्त गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में मायावती के नाम की घोषणा कर सकती है। हालांकि, इस मामले में अब तक बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कुछ भी संकेत नहीं दिया गया है।

इस कयास के पीछे सूत्रों का कहना है कि इंडिया गठबंधन की कई सहयोगी पार्टियां राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, जबकि सभी सहयोगी दल मायावती को इस शीर्ष पद के लिए दलित नेता के बतौर स्वीकार करने को तैयार हो जाएंगे।

शाजापुर में आज राहुल गांधी का रोड शो

■ राहुल की न्याय यात्रा इन दिनों मध्य प्रदेश में है। रोड शो के बाद राहुल गांधी अगले दिन उज्जैन जाएंगे और महाकाल मंदिर में दर्शन करेंगे।

भोपाल, 04 मार्च। मध्यप्रदेश के शाजापुर में 5 मार्च को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का रोड शो होगा। कांग्रेस की जानकारी के अनुसार, गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 5 मार्च को सुबह 8.30 बजे पचौर में स्वागत होगा, तत्पश्चात् सुबह 9.30 बजे सारंगपुर में स्वागत होगा। पूर्वान्ह 11.30 बजे से शाजापुर टंकी चौराहा से एचपी पेट्रोल पंप तक रोड-शो के बाद दोपहर 12 बजे मक्सी में न्याय यात्रा का स्वागत होगा। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के.के. मिश्रा ने बताया कि दोपहर भोज के दौरान दोपहर 12.30 बजे विद्या संस्कार इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल मक्सी जिला शाजापुर में दोपहर भोज के साथ-साथ परीक्षार्थी संवाद और पत्रकार वार्ता होगी। न्याय यात्रा का अगला पड़ाव कायथा, विजयगंज मंडी होते हुये उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचेगा, जहां राहुल गांधी महाकाल मंदिर में दर्शनार्थ हेतु जायेंगे।

शाहबाज़ ने पाक के प्र.मंत्री पद की शपथ ली

इस्लामाबाद, 04 मार्च। पूर्व प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने सोमवार दोपहर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में पाकिस्तान के 24वें निर्वाचित प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गयी। राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने समारोह में नवनिर्वाचित प्रधान मंत्री को पद की शपथ दिलाई।

'15 जून तक मुख्यालय खाली करे...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश की घोषणा करते हुए पार्टी को अपना मुख्यालय रिक्त करने के लिए 15 जून की अंतिम तारीख दी है। पार्टी को वैकल्पिक स्थान के लिए केन्द्र सरकार के भूमि व विकास कार्यालय में आवेदन करने की अनुमति प्रदान की गई है।

फरवरी में, शीर्ष अदालत ने यह देखा कि आप के कार्यालय ने ज़मीन पर अतिक्रमण किया हुआ है कोर्ट ने हैरानी व्यक्त की और नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि आप पार्टी उस भूमि पर अतिक्रमण कर रही है जो मूल रूप से दिल्ली हाई कोर्ट को उसके बुनियादी ढांचागत विस्तार के लिए आवंटित की हुई थी। मामले की सुनवाई के दौरान, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाय. चन्द्रचूड़ ने कहा "कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। और एक राजनीतिक दल उस भूमि पर कैसे जमकर बैठ सकता है? बिना कब्जे वाला भाग हाई कोर्ट को अवश्य दिया जाना चाहिए।

पार्टी ने आरोपों से इनकार किया और केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसने शीर्ष अदालत को गुमराह करने के लिए गलत जानकारी पेश की है।

पार्टी के द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि "आम आदमी पार्टी इस आरोप का पुरजोर और स्पष्ट रूप से खंडन करती है कि पार्टी का दिल्ली में राउज़ एवेन्यू कोर्ट स्थित पार्टी मुख्यालय अतिक्रमण की हुई भूमि पर बनाया हुआ है। यह बहुत ही भयावह स्थिति है कि केन्द्र सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के लिए कोर्ट में असत्य तथ्य प्रस्तुत किए हैं। हम इस मामले से संबंधित उचित दस्तावेज माननीय अदालत के समक्ष पेश करेंगे जिससे स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी को तथाकथित भूमि दिल्ली सरकार द्वारा आवंटित की गई थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि यही भूमि वर्ष 1992 में आई.ए.एस. व तीन मंत्रियों को आवंटित की गई थी। कुछ भी हो, यहां किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है।"

"भद्रलोक" की बगावत का संकेत है, न्यायाधीश गांगुली की "जुडिशिएरी"...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

■ पर, इस स्थिति में आमूल परिवर्तन आया, ममता बनर्जी के आगमन से। वे साधारण मध्यवर्गीय परिवार की युवती थीं तथा उनके राजनीतिक समर्थक भी इसी पृष्ठभूमि से थे। अपने समर्थकों की निष्ठा व वफादारी पाने के लिये ममता बनर्जी का "गिव अवे" (मिल बैठक कर सरकारी धन व सुविधाएं बांटने) का कल्चर शुरू हो गया, जिसका हाई पॉइंट था, "संदेशखाली" प्रकरण।

■ पर, अब पदासीन हाई कोर्ट के जज व पार्टी के शक्तिशाली महारथी का इस्तीफा इस "मिल बांट" कर खाने के खिलाफ बगावत का संकेत है, जो "भद्रलोक" सभ्यता व मान्यताओं की वापसी चाहता है, जहां जनता, राजनीतिक नेताओं को आदर व कुछ श्रद्धा से भी देखती थी।

लेकिन तब वामपंथियों के दबदबे के साथ राजनीति के "प्लबिअनाइजेशन" की प्रक्रिया शुरु हो गई थी। कुछ ऐसे लोगों के पास सत्ता की वास्तविक ताकत थी जो पूर्व के नेताओं की तरह अभिजात्य पृष्ठभूमि अर्थात "भद्रलोक" से नहीं थे। लेकिन उनका शैक्षणिक स्तर बेहतरीन था। उस समय के कुछ विद्वानों ने तो आंदोलन में भाग लिया था। इसी के साथ इसमें भी काई संदेह नहीं है कि कुछ ऐसे लोग भी आगे आए जिन्हें अभिजात्य वर्ग के मूल्यों से कोई मतलब नहीं था।

वाम मोर्चा की प्लबिअन राजनीति ने बहुत जल्दी ही अगली पीढ़ी के नेताओं की चोरी में बदल गई। अगर कोई एक व्यक्ति, भद्रलोक राजनीतिज्ञों के वर्ग के शिखर पर पहुंचे थे, वह थे समृद्ध, सुशिक्षित और नामी वकील सिद्धार्थ शंकर रे। रे विख्यात वकील सी.आर. दास के नाती थे जो कलकत्ता हाई कोर्ट के 1920 के दशक में सफलतम वकीलों में से एक थे। उन्होंने अपने एक कैबिनेट सहयोगी को भ्रष्टाचार के कारण जेल भेजा था। रे ने अपनी राजनीति की शुरुआत वामपंथियों के साथ की थी, पर वे बाद में कांग्रेस की मुख्यधारा की राजनीति की तरफ झुक गए थे।

फिर बदलाव हुआ क्योंकि वामपंथी दल सत्ता में आ गए थे। इसमें उच्च स्तर पर तो अभिजात्य वर्ग के लोग थे, पर पार्टी के निचले स्तर के लोग मामूली पृष्ठभूमि के थे। इनमें से कई बेहद गरीब थे और उनके पास आर्थिक सम्बल नहीं था। इसका अर्थ यह नहीं है कि गरीब तबके से आए लोग पूरी तरह से भ्रष्ट हों, ये जरूरी भी नहीं है। गरीब वर्ग से कुछ नेता व राजनीतिज्ञों का आचरण बेहद उच्च था और उन्हें वित्तीय गड़बड़ी का दोषी नहीं ठहराया जा सकता था।

यह प्राचीन आदर्श था और जिसमें गरीबी को बहुत ज्यादा महिमा मंडित किया गया था, पर अब यह पुराना हो गया है। आपने सुना ही होगा। "सादा जीवन उच्च विचार" जैसे वाक्य पर आज के माहौल में इनका मज़ाक उड़ाया जाता है। वामपंथी शासन के बाद के दिनों में कुछ पार्टी तत्वों द्वारा निजी तौर पर आर्थिक फायदा कमाए जाने के बारे में अफवाहें उड़ी थी जो कि वाम मार्चा के शुरुआती दिनों में टॉप पर था।

लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई और इसने अपनी पकड़ बना जी तब तक भारी परिवर्तन देखने को मिला। ममता बनर्जी खुद भी अच्छे समृद्ध परिवार से नहीं आईं थी।

उन्होंने समर्थन और सहानुभूति हासिल करने के लिए "देने" की राजनीति शुरु की और दुख की बात है कि अपने समर्थकों में उन्होंने जो लालच पैदा किया था उस ने समूची पार्टी का लपेटे में ले लिया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि निजी तौर पर सत्ता हासिल करने के अलावा उनकी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं थी। सत्ता हासिल करने और सत्ता पर पकड़ बनाए रखने की ललक में वो पूरी तरह से "देने" (पैसे बांटने) की राजनीति पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गईं। चूंकि बंगाल की अर्थव्यवस्था पहले ही ठप्प हो गई थी और सम्मान के साथ आजीविका कमा पाने की संभावनाएं बहुत कम रह गईं थी। उन हालात में जो भी लाभ पहुंचाया गया उसे आभार के साथ स्वीकार किया गया। अब लोग बहुत बेसब्री से इन तोहफों की प्रतीक्षा करते हैं, चाहे ममता बनर्जी को ये अपनी जेब से ही क्यों न देने पड़े। यही नहीं अपने भाषणों में भी वो हमेशा यही कहती हैं कि किस तरह से वो लोगों को रुपए बांटती हैं।

उनकी नीति विहिन राजनीति का दूसरा प्रमुख घटक है लोकतांत्रित प्रक्रिया को कमज़ोर बनाना और संस्थानों पर नियंत्रण कर लेना। उन्होंने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य प्रशासन को हथियार बनाया है और चुनाव व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए वे पुलिस का भी इस्तेमाल करती है। इस प्रक्रिया का चरम हाल ही में तब दिखा जब वरिष्ठ मंत्रियों, पार्टी पदाधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर चोरी करने और आम लोगों पर हमले करने की बातें सामने आईं। अब वे इतनी शक्तिहीन हैं कि इसमें दखल नहीं दे सकतीं। क्योंकि चुनाव जीतने के लिए वे इन्हीं तत्वों पर निर्भर हैं।

जिस घटना ने जनता का सब्र तोड़ दिया वह थी संदेशखाली की घटना, जिसने तृणमूल के कट्टर समर्थकों में भी बगावत पैदा कर दी जैसे तापस रॉय उन्होंने हिंसा व डराने धमकाने की कई घटनाओं पर से पर्दा उठाया। तापस तृणमूल के शुरुआती दिनों में पार्टी में थे।

अब जस्टिस गांगुली ने अपराधिक राजनीति और खुले आम चोरी के खतरों के खिलाफ उठ खड़े होने की बात कही है। उन्होंने शिक्षित मध्यम वर्ग से राजनीति में आने व अपने हाथों में नियंत्रण लेने की अपील की।

तीसरी बार संसद का चुनाव लड़ने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

■ क्या इस बार टिकट वितरण में मोदी द्वारा उदारवादी सोच अपनाने को मजबूर होने का कारण, जमीनी स्थिति है और तेजस्वी यादव की पटना में इण्डिया गठबंधन के लिये आयोजित विशाल रैली। महाराष्ट्र में कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी व शिव सेना (उद्धव ठाकरे) की बढ़ती पकड़ ने भाजपा को सचेत किया है कि, छवि परिवर्तन बिना 400 सीट का लक्ष्य पाना कठिन है।

जाते हैं। पहली बार भाजपा ने केरल और उत्तर प्रदेश से मुसलमान को टिकट दिया है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि, आगे भी मुसलमानों को और टिकट दिए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि, पटना में तेजस्वी यादव की भारी रैली के बाद, भाजपा को बिहार में कुछ सीटें खोने की चिंता है और महाराष्ट्र को लेकर भी यही चिंताएं हैं, जहाँ उद्धव ठाकरे, शरद पवार का गठबंधन जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908